

(29)

- 23 -

3

वर्ष 2016-17

के अन्तर्गत

जगर पालिका परिसर

द्वारा वसूली अनुदानों की तालिका:

स्था 0 नि 0 ले 0 सं 0 - 00

क्र.सं. क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धरराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धरराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7-	8/936/152(11) 2016-17 दि. 21-10-16	चतु. रा. वि. आ. / जेतन विकास हेतु	2,78,27,818	24-10-16	—	2,78,27,818	2,78,27,818			
8-	8/1064/152(11) 2016-17 दि. 23-11-16	चतु. रा. वि. आ. / -तदेव-	2,78,27,818	3-12-16	—	2,78,27,818	2,78,27,818			
9-	8/1141/152(11) 2016-17 दि. 21-12-16	चतु. रा. वि. आ. / -तदेव-	2,78,27,818	3-1-17	—	2,78,27,818	2,78,27,818			
10-	8/131/152(11) 2016-17 दि. 25-1-17	चतु. रा. वि. आ. / -तदेव-	2,78,27,818	3-2-17	—	2,78,27,818	2,78,27,818			
11-	8/212/152(11) 2016-17 दि. 17-2-17	चतु. रा. वि. आ. / -तदेव-	2,78,27,818	7-3-17	—	2,78,27,818	2,78,27,818			
12-	8/280/152(11) 2016-17 दि. 10-3-17	चतु. रा. वि. आ. / -तदेव-	2,78,27,818	31-3-17	—	2,78,27,818	2,78,27,818			
13-	8/468/152(11) 2016-17 दि. 31-3-17	चतु. रा. वि. आ. / -तदेव-	2,40,34,050	31-3-17	—	2,40,34,050	2,40,34,050			

राज्याध्यक्ष संख्या

दिनांक

के अन्तर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन :

दिनांक को संकेतित ।

सं०

दिनांक

दियेयक,  
स्थानीय विधि सेवा;  
उत्तर प्रदेश ।

(28)

- 22 -

भाग वि० ले० सं०-४४

वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत नगर पालिका पोखरा, उरुवा द्वारा वसूली अनुदानों की ताजिका

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षान्त में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई घनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पुर्च राज्य वि. आयोग से प्राप्त अनुदान :-										
	8/112/152(11) अनु.रा.वि.आ. 2016-17 दि० 2-5-16	वैतन व विकास हेतु	2,78,27,818	6-5-16	-	2,78,27,818	2,78,27,818			
	8/217/152(11) अनु.रा.वि.आ. 2016-17 दि० 30-5-16	- तदेव -	2,78,27,818	3-6-16	-	2,78,27,818	2,78,27,818			
	3/392/152(11) अनु.रा.वि.आ. 2016-17 दि० 29-6-16	- तदेव -	2,78,27,818	4-7-16	-	2,78,27,818	2,78,27,818			
	1/4195/152(11) अनु.रा.वि.आ. 2016-17 दि० 28-7-16	- तदेव -	2,78,27,818	3-8-16	-	2,78,27,818	2,78,27,818			
	3/693/152(11) अनु.रा.वि.आ. 2016-17 दि० 29-8-16	- तदेव -	2,78,27,818	2-9-16	-	2,78,27,818	2,78,27,818			
	3/851/152(11) अनु.रा.वि.आ. 2016-17 दि० 27-9-16	- तदेव -	2,78,27,818	5-10-16	-	2,78,27,818	2,78,27,818			

राज्य संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के अन्तर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ; विभाग को प्रेषित ।

व० \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

निदेशक,  
स्थानीय विधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश ।

(27)

-21-

3.

वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत नगर पालिका पोस्टल इलाका द्वारा वसूल अनुदानों की तालिका: स्या १ नि ० ले ० सं ०-११

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षांत्म में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2% स्टैम्प के प्राप्त अनुदान :-									
		1/20/04-16 को		प्रा० अ.व.शे.स	30020076	-	30020076			
1.	8/686/(139)/2% अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क/2016-17 दि० 26-1-16	अवस्थापना कार्य हेतु	1,53,58,477	23-9-16	-	1,53,58,477	1,53,58,477	1,16,43,485	37,14,982	
2.	8/436/(139)/2% अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क/2016-17 दि० 28-3-17	- तदेव -	87,27,307	31-3-17	-	87,27,307	87,27,307	-	87,27,307	
3.	8/428/(139)/2% अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क/2016-17 दि० 02-1-17	- तदेव -	87,69,585	9-2-17	-	87,69,585	87,69,585	-	87,69,585	
				योग	30020076	32857369	62877445	41663570	21213874	

राज्या संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन :- विभाग को प्रेषित।

दिनांक \_\_\_\_\_

निदेशक,  
स्थानीय विधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश।

(26)

-20-

(3)

स्था. नि० ले० सं०-८९

वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत नगर पालिका पोखरा द्वारा वसूलित अनुदानों की तालिका

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घतराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षान्त में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में शेषित धनराशि	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14 के वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान			प्रा. अवशेष	572,53,838	—	572,53,838	5,72,53,838	शून्य	
	1. शा.सं. 8/129/17/14 का वित्त आ. 2016-17 दि. 9-5-16	लाभ. प. कुमिमादी अनुदान	3,06,70,615	17-5-16	—	3,06,70,615	3,06,70,615	4,96,0,802	2,57,0,9813	
	2. शा.सं. 8/1150/17/14 का वित्त आ. 2016-17	तैय. शेषित शा.सं. के अन्तर्गत	4,14,88,651		—	4,14,88,651	4,14,88,651	—	4,14,88,651	
				योग	572,53,838	74,65,783	13,19,06,21	64,71,21,57	67,1,98,404	

राज्या संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के तदन्तर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन : विभागा को प्रेषित ।

दिनांक \_\_\_\_\_

दिये गये,  
स्थानीय विधि सेबा,  
उत्तर प्रदेश ।

(25)

- 19 -

परिशिष्ट 'घ'

शेष संख्या क्या 10 ति० से० 105

वर्ष 2018-19 में

नगरपालिका परिषद् / विभिन्न संव्यवस्थापन समितिको वार्षिक

द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

(बैंक पूर्ण वर्षों में)

52191

क्रमांक	बाण्ड का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समस्त स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संतुलित स्थिति		वर्तमान
			कुल आवसंक्त अनुदान	कुल अनावसंक्त अनुदान	
1	2	3	4	5	5
1	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोग—				
	(क) शिक्षा ① राजा विन्त आगे	35,79,67,866	35,79,67,866	—	
	(ख) चिकित्सा ② 14वां विन्त आगे	7,21,59,266	7,21,59,266	—	
	(ग) जन-स्वास्थ्य	3,28,57,369	3,28,57,369	—	
	(घ) सड़क ③ आवश्यकता विकास निधि	24,97,523	24,97,523	—	
	(ङ) अन्य निदिष्ट प्रयोजन 14वां विन्त का बँक खाता	44,69,269	—	44,69,269	
	(च) सामान्य प्रयोजन स्वच्छ शहरी मिश्रण				
	(छ) नगरपालिका परिषद्/जिला पंचायत/अन्य स्थानिक निकायों के अन्तर्गत उपाय एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत				
	(ज) नगरपालिका परिषद्/जिला पंचायत/नगर पंचायत/अन्य पंचायत द्वारा प्रशासित नौका, बाँधों के बाध्य बाध के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन				
	(ञ) जिला पंचायतों के स्तम्भ 3 में उपाय/कार्य-कार्यों के समतुल्य				
	(ट) शहरी नवीकरण एवं शहरी विकास	3,16,99,000	—	3,16,99,000	
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	कुले बाजार से लिये गये ऋण				

(24)

नगर पालिका परिषद, इटावा  
नगर पालिका परिषद, इटावा द्वारा वर्ष 2016-17 में जमा पेंशन अंशदान का विवरण

क्रम सं०	माह का नाम	माह में कुल जमा पेंशन अंशदान	माह में देय पेंशन अंशदान	अतिरिक्त पेंशन अंशदान
1	अप्रैल 2016	1829676	379676	1450000
2	मई 2016	1827371	377371	1450000
3	जून 2016	1828439	378439	1450000
4	जुलाई 2016	1827787	377787	1450000
5	अगस्त 2016	3836765	386765	3450000
6	सितम्बर 2016	1838561	388561	1450000
7	अक्टुबर 2016	1840869	390869	1450000
8	नवम्बर 2016	2838162	388162	2450000
9	दिसम्बर 2016	1833667	383667	1450000
10	जनवरी 2017	1837395	387395	1450000
11	फरवरी 2017	2454758	1004758	1450000
12	मार्च 2017	2439445	989445	1450000
	योग	26232895	5832895	20400000

(23)

41-A	मुकद्दमा विभाग	63012=	63012=	127895=	46551=	66835=	66919=	132038=	5100=	65119=	65119=	73027=	69427=	797503=
41-A	मुकद्दमा विभाग अन्य खर्चे	15400=	950=	53299=	46551=	26729=	31476=	19340=	21164=	86380=	105240=	15000=	16250=	437179=
41-B	मंविष्य निधि	418031=	427171=	649070=	1418268=	450658=	449102=	442369=	1829725=	455679=	554515=	961760=	977200=	9033548=
41-C	नजूल													
41-F	विविध	959903=	646299=	1634500=	945720=	705143=	546197=	720708=	701004=	540365=	492387=	925913=	2566493=	11504632=
48.	अदायगी ऋण													
49.	अग्रिम													
51.	डिपोजिट													
52.	I.D.S.M.T.										173=			173=
53.	अवस्थापना निधि/स्लम एरिया				2433670=	5334420=	10024040=	2033845=	1763258=		4660846=	7874045=	7348125=	41482249=
54.	13वाँ वित्त आयोग		17=18		1211589=	4278598=	7329226=		10569000=	7535634=	814473=	12770260=	1361476=	65420253=
55.	रिवाल्विंग फण्ड													
56.	U.I.D.S.S.M.T.													
	योग	44701202=	34453098=	48515811=	37234245=	30183575=	27716792=	40777796=	16030768=	42334206=	28014420=	27511985=	52719856=	430193751=
	महायोग	44701202=	34453115=	48515811=	4087948425=	39796593=	45080058=	42811641=	28363026=	4986984025=	40787912=	48156290=	73679457=	537096430=





(21)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटावा  
आय पक्ष-वित्तीय वर्ष 2016-17

हैड नं०	मद का नाम	अप्रैल-16	मई-16	जून-16	जुलाई-16	अगस्त-16	सितम्बर-16	अक्टूबर-16	नवम्बर-16	दिसम्बर-16	जनवरी-16	फरवरी-16	मार्च-16	कुल योग
3.	गृहकर	415734=	292302=	3,00,346=	229201=	217005=	295492=	509171=	2909780=	457596=	4,70999=	3,56653=	20,46057=	85,00536=
1A.	कीकल टैक्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	जलकर	429104=	279221=	3,12,354=	236888=	217553=	262077=	5,53933=	2924440=	4,58621=	4,31339=	3,75025=	18,27509=	83,08064=
10.	प्रेस ग्राहकर	—	3900=	4100=	3300=	2450=	3600=	2250=	3050=	1800=	2600=	1,02450=	2550=	1,32,050=
12.	मवेशी घाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	हैकनी करिज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	आराजी/राजस्वी टैक	1,44,180=	1,54,000=	6,67,546=	4,27,000=	5,94,815=	6500=	1,71,000=	3,40,000=	3,4200=	27,100=	1,33,946=	1,00,8576=	37,05,863=
1B	विद्युत भूमि से उपलब्धि	50496=	—	8808=	29,352=	1500=	6600=	—	44,448=	1,32,48=	59,400=	3000=	32,700=	6,19,252=
18.	कीमत खाद्य किन्नी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21A.	क्रिपया दुकान	225,420=	2,40,300=	1,97,400=	2,55,816=	97,500=	1,43,670=	2,07,660=	3,87,282=	41,200=	82,500=	1,01,600=	2,02,070=	5,66,8018=
21B.	वधशाळा/सास्तर हाउस	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23I.	जलमूल्य	2,29,469=	3,34,294=	2,84,406=	1,60,446=	1,64,133=	2,67,646=	2,54,836=	14,39,820=	24,3315=	19,9982=	2,30,710=	5,62,341=	44,31,398=
23III	अन्य जलकल	117=	740=	1080=	439=	568=	306=	928=	90=	376=	926=	25=	25=	5,680=
23A	नकल फीस	3100=	3150=	3050=	2625=	2625=	2800=	2350=	1825=	4875=	1850=	2075=	3600=	33,925=
23D.	एजिस्ट्रेशन जानवरान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23D.	साइसेन्स रिक्शा	15900=	2850=	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18750=
23D	साइसेन्स पम्पर	32875=	6850=	625=	675=	400=	350=	—	9675=	200=	1550=	2675=	1250=	51,125=
23D.	साइसेन्स खाद्य	2110=	390=	520=	30=	110=	60=	50=	20=	180=	160=	60=	20=	3,710=
23D.	नवीन साइसेन्स एवं होटल उपनिधि	3,76,700=	59,750=	16,850=	13,050=	300=	50=	150=	6050=	1800=	250=	1250=	2100=	4,78,300=
23E.	प्रोजेक्शन फीस/शूजर-भाज	—	—	—	19,660=	—	—	—	—	—	—	—	—	19,660=
24.	अपराध समाधान /लेटफीस	8670=	15750=	12,226=	18,331=	5953=	5810=	3890=	9767=	3805=	5198=	4677=	45,723=	1,39,800=
28.	प्रीमियम/जमानत	—	—	—	—	—	—	—	150000=	300000=	180000=	—	—	3,60,000=
30I.	कन्य वित्त केतनादि	—	2,78,27818=	2,78,27818=	2,78,27818=	2,78,27818=	2,78,27818=	5,56,55636=	—	2,78,27818=	2,78,27818=	2,78,27818=	7,96,89686=	35,79,67866=
30II.	तेरहवां विल आयोग	—	306,91412=	—	747,226=	—	879,112=	—	—	7,74,235=	4,14,88651=	—	823,379=	7,54,04015=
30III	अवस्थापना निधि /2 प्रतिशत ट्याम्प शुल्क	—	—	—	—	—	1,53,58477=	—	—	—	—	8,76,9585=	87,29307=	3,28,57369=
30IV.	सांसद/विधायक निधि व अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30V.	संगठित विकास योजना	173,200=	1,13,244=	35,700=	2,5200=	70,160=	—	—	54,9080=	50,208=	62,185=	16,200=	65,600=	11,60,777=
30VI.	रिजर्विन्स फन्ड U/DSSMT	—	—	—	—	—	9293=	—	—	—	—	—	—	9293=
41.	विविध, रोड कटिंग, होडिंग	82900=	1,59,000=	1,05,970=	75,000=	44,200=	66,000=	47,700=	32,100=	55,600=	64,6625=	63,700=	1,50,632=	15,29,427=
50.	डिपोजिट-निधि/शुल्क	45500=	41,6990=	29,500=	1500=	—	2790=	—	—	32,6940=	—	—	—	81,4430=
51.	व्याज रोड कटिंग	—	2250=	4050=	1200=	3500=	—	—	1300=	—	—	1500=	2,54,145=	2,70,735=
	आय	2,19,275=	2,97,99555=	2,97,70649=	2,93,02931=	2,91,80430=	2,88,91569=	5,74,09554=	12,19,147=	2,95,01574=	2,99,38357=	2,92,07164=	8,58,28784=	39,30,58587=
	प्रारम्भिक अवशेष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	महायोग	2,29,2475=	6,06,04211=	2,98,06349=	3,00,74757=	2,92,50590=	4,51,38451=	5,74,09554=	12,6,8227=	3,03,26017=	7,14,27008=	3,77,2749=	9,54,47270=	50,24,9043=



(19)

वित्तीय स्थिति वर्ष 2016-17

48-

परिशिष्ट ख

नगरपालिका परिषद इटावा

विवरण	मुख्य लेखा नगरपालिका तथा राज्य वित्त आयोग	13वां वित्त आयोग	21. अवस्थापना विकास निधि	संगठित विकास योजना IDSMT	रू० अर्को टी. एस. एस. रकम टी.
वर्ष का आ-शेष आय	930,45,916-71	5,72,14,702-92	3,00,20,075-86	16,29,562-86	4,58,525-00
योग	39,30,58,589-00	7,46,56,789-00	3,28,57,369-00	11,60,777-00	1,86,18-00
व्यय	48,61,04,505-71	13,18,71,491-92	6,28,77,444-86	27,90,339-86	4,77,143-00
इतिशेष	43,01,93,754-50	6,46,73,037-93	4,16,63,510-00	173-00	रुपय
जोड़िए: न जुने चैको की धनराशि	5,59,10,751-21	6,71,98,463-99	2,12,13,874-86	27,90,166-86	4,77,143-00
	2,60,59,874-00	94,55,167-00	44,06,522-00	-	-
अवस्थापना निधि का इतिशेष	819,70,625-21	7,66,53,630-99	2,56,20,396-86	27,90,166-86	4,77,143-00
आर्यु. ई. एस. रक. टी. की आय राज्य वित्त आयोग के	2,56,20,396-86	/			
(वैशेष जो लेना चाहिए) योग	5,99,288-00				
वैशेष का विवरण	10,81,90,310-07	2,66,53,630-99	2,56,20,396-86		
राज्य वित्त एस. की, अर्द्ध खाला सं० 111,222,95,891 में शेष	9,94,09,219-68	-	राज्य वित्त		
नगर निधि जिला सह. बैंक खाला सं० 646 में शेष	91,32,088-00	-	खाला में जमा		
पी. एस. की. खाला सं० 163,000,40,15,13,198 (14वां वित्त आयोग)	-	7,66,92,765-99	-		
वैशेष आगे बढ़ाए रखना सं० 27,24,00,000,19,075 में शेष	-	(वैशेष में अतिरिक्त 39,135/-)	-		
संगठित विकास योजना सं० 36,85,000,40,50,9,65 में शेष	-	-	-	22,39,958-86	4,77,143-00
				55,208-00 58,173	
				49,800-00 A.C.B. में	
				28,39,286-86	



	(3)(4)(5)(6)(7)(क)(1)(2),7(ख),8(क)टि0(1)(2)(3)(4) (5),8(ख)(1)(2)(3),8(ग)टि0(1)(2)(3)(4)8(घ)टि0(1) (2)(3)(4),9(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)		
2003-04	सम्परीक्षा-आख्या-भाग-दो(ब)-1(क)(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8)(9)1(ख)टि0(1)(ग)(1)(2)(3)टि0(1)(2)(3) (घ)(ङ)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(च)(छ)(ज)(झ)(ट) (1)(2)(3)(4)(5),1,2टि0(1)(1)(1)(1)टि0(1),4(2)(3)टि 0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5),4. (क)टि0(1)(1)(1)(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2) (3)(4)(5)(6)(7)(8)(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(4)(घ)टि0 (1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2)(3),7(क)टि0(1)(1)(1)(ख), 8(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),7,8(ख)(1)(2)(ग)(1)(2) (3)(4)(घ)टि0(1)(2)(3)(4)(5),9टि0,10,11,12(1)(2)(3) ,13,14,15,16टि0(1)(2),17,18,19(1)(1)टि0,20,21, 22,23,24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,3 1,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41	161
2004-05 से 2005-06	सं0आ0-भाग-दो(ब)-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(1) (1)(1)(छ)टि0(ज)(झ)(ट)टि0(1)(2)(5)(6)(ड)टि0(1)(2) (ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)(न)(प)(फ)(ब)(भ)(म)(य)(र),3(क) टि0(1)(2)(3)(4)(5),3(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(ग)टि0(1)(2) (3)(4)3,3(घ)टि0(1)(2)(3)(ङ)टि0(1),4(क)टि0(1)(2) (3),4(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)6,6(अ),6(ब)टि0(1)(2) (3)(4)(5)(6),7,8टि0(1)(2)(3)(4)(5),9,10टि0(1)(2),11 टि0(1),12टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),13टि0(1)(2)(3),14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22,23,24,25	110
2006-07	आख्या भाग-प्रथम 1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) भाग-दो(ब)-1(क)(ख)(1)(2)(ग)(1)(घ)टि0(1)(2)(ङ) (च)(छ)टि0(1)(2)(3)(ज)(झ)(इयॉ)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण) (त)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(थ)(द)(घ)टि0(1)(2)(3) (प)(फ)(ब)(1)(2)(भ)(1)(2)(3)(4)(5)(म)(य)(1)(2)(3) (4)(5),3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10),3(क)टि0 (1)(2)(3)(4)(5),4टि0(1)(2)(3)(ख)टि0(1)(2),5,6टि0 (1)(2)(3),7(1)(2),8टि0(1)(2)(3),9(1)(1)(1)(1)(4)(1) (2)(3)(4)(5)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22,23,24	119
2007-08	भागप्रथम-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(इयॉ) (ट)(ठ)2,3टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0(1)(2),4(अ)टि0(1) (2)(3)(4),6,6(अ)टि0,7,8,9,10,11,12,13,14	-	33
2008-09	भाग-क-(क)दा(1)(2)(3)टि0(1)(2)(4)(5)(6)(क)(छ) भाग-ख-2टि0(1)(2)(3)(6)(7)(8)3टि0(1)(2)(3)(4) (5)(6),4(क)टि0(1)टि06,7,(1)(2)(3)(4)(5),8,9,10(क) (1)(2)(3),10(ख)टि0(1)(2)(3)	1,2,3,4	48
2009-10	भाग-क-(एक)(1),टि0,2,3,4,5टि0,6,तीन(1)(1) (1)(1)(2)(3)(IV)(V)(VI)(VII)(VIII)(IX), 4(1)(2)(3)(4)(5) नौ(1)(2)(3)(4)(5)	-	27
2010-11	भाग-क-(क)1,1टि0,2,3,4,5,6,(ख)-1(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8),4,5,5टि0(1)(2)(3),6,7(1)(2)(3)(4)(5)(6) (7)(8),8(अ)(ब)टि0(1)(2),8(स)टि0(1)(2)(3)(क),8(द)	-	90

1988-89	3टि0(2),4टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0(क)(ख)टि0(1)(2), 15(1)(2)(क),16टि0,21,22,25(1)(2),28,29,33,35,36, 37	—	23
1989-90 से 1990-91	4टि0,6टि0(2),7टि0(2),18,20टि0,22(1)(2),23(1)(2)( 3)(4),24(1)(2),27,28,29(1)(2),30(1)(2),32,33,34,35, 36,37टि0,38,39टि0(क)(ख)(1)(2)	—	29
1991-92	3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7),4टि0(1)(2)(3),5टि0(1)(2), 6टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),7टि0(1)(2)(3),8टि0 (1),12,13,14,15(1)(2)(3),16,17,18(1)(2),22(1)(2),2 2(1)(2)(3),23टि0,24,25,26(1)(2)(3)(4),27(1)(2),28 (1),29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41	—	61
1992-93	4टि0(1)(2)(3)(6)(ख)टि0(3)14टि0(6)(7),15,18,19 (क)(ख)टि0(1)(2),20(1)(2),21,22टि0(1)(2),23,24,25 ,26(क)(ख),27टि0,29,30टि0(1)(2)(3),31,34	5,6,7,22,29,33	35
1993-94	5टि03(छ)(ज)(झ),3,4,5,12टि0(3),13(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)(11),14(ख),16(1)(2)(3)(4)(5),18,20 ,29,34	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21,22,23,24	53
1994-95	3टि0(1)(2)(7)(8)(9),4टि0(1)(2)(3),5,7,टि0(1)(3),4,5 ,9टि0(1)(2),12,14टि0,15टि0(1)(2)(3)(4),17,18(2) टि0(1)(2)(3),19,20टि0(2),21,21टि0,22टि0(1)(2)(3), 24,25,26,27(1)(1),28,29(1)(1),30,32टि0(ख)(1) (2)(3),33(1)(2)	3,36,37,40,42,43,54	53
1995-96	5टि0(1)(3)(4),6(ख)टि0(1),8टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),1 4(2),16(2)टि0(1)(2),20	—	14
1996-97	4टि0(1)(2)(3)(4),6टि0(3),18,19	—	07
1997-98	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
1998-99	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
1999- 2000	सम्परीक्षाआख्या-भागदो(ब)-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च) (छ)(ज),3टि0(1)(2),4टि0(1)(2),5,5(2)(3),6टि0(2)(3), 7टि0(1)(2),8(1)(2),9टि0(1)(2)(3)(4)(5),10,11(क)(1) (2)(3)(ङ)(च)(छ)(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(झ)12	अज्ञात	42
2000-01	सम्परीक्षाआख्याभागदो(ब)-1(क)(ख)(1)(2)(3)(ग)(1) (2)(घ)(ङ)(1)(2)टि0(1)(2)(3)(च)(छ)(ज)(झ),3टि0(1) (2),4(क)टि0(1)(3)(ख)टि0(1),5,6(2),7टि0(1)(3)(4),9 ,10(1)(2)(3)(4)(5)11,12,13,14,15(क)(ख)(ग)(छ)(ज) (घ),16,17,18,19	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22	69
2001-02	सम्परीक्षाआख्या-भाग-दो-(ब)-1(1)(2)(3)टि0(1)(2) (3)(4)(5),5(2)(3)(6)(7)(8),3टि0(क)(ख)(ग)(घ),4टि0 (क)(ख)टि0(अ)(ब)(स)(द),5,6टि07(2)टि0(क)(ख)(ग) (घ)(च)(छ)9,10,11टि0(क)(ख)(ग),12,13,14,15(1)(2) (3)16(क)(ख)(ग)(घ),16,17(1),19,20,22,23(अ)(ब) (स)(2)(3)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)(र)(ल)(व)टि0 24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22	86
2002-03	सम्परीक्षाआख्या-भाग-दो-(ब)-1(क)(ख)प्रथम(2) (3)(4)(5)(6)(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(च)(छ)(1)(2)(ज) (झ)2टि0(2)(3)(4)(5),4(क)टि0(1)(2),4(घ)टि0(1)(2)	1,2,3,4,5	60

नगर पालिका परिषद, इटावा  
वर्ष 2016-17 अनिस्तारित आपत्तियों की सूची

अवधि	सम्परीक्षा के अनुच्छेद	पद	कुल संख्या
1974-75	5,6(क)(ख),10(ख)(ग),11,12,13,14,15(क)(ख)(ग),16,17,18,19,20,21,22,23(1)(2)(3)(4)(5),24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81	106
1975-76	5,19(1)(3)(4),20(1)(क)(ख)(ग),21(1)(2),22(1)(2)(3)(4)(5),23,24(1)(2)	25,31,32,57,59	22
1976-77	3टि0(3)(4),7(1)(2)(3)(4),16,17,18,19,20,21,22,23(1)(2)(3)	6,8,12,24,25,26,38,39,42,43,44	28
1977-78	3टि0(1),4,5,7परिशिष्ट(ख)(1)(2),8,9,10(1)(2)(3),11,12,(1)(2),13(1)(2),14,15,16,18,20,21,22(1)(2),23,24,26,27	—	26
1978-79	3टि0(2),5टि0(1)(2),6,7परिशिष्ट(घ)नोट(2)(3),9,10,11,12,13,14(1)(2),15(1)(2)(3),16(1)(2),17(1)(2),18(1)(2)(2)(3)(4)(5)(6)(7),19(1)(2)(3),20,21(1)(2),22,23,24,25(1)(2)(3),26(4)(7),27,28	—	45
1979-80	16,28,29,35	—	04
1980-81	6टि0(3),18,19,22(क)(ख),23,24,26,27,28,33(क)	—	11
1981-82	17,18,19,20,22,32(क)	—	06
1982-83 से 1983-84	3टि0(क)(ख)(ग)टि0(1)(2)(3)(4),7(1)(2)(3),14,15,16(ख),20,21(क)(ख)(ग),24टि0(4),25,27(क)(ख),30,33	—	22
1984-85	7(घ)टि0(1),17(2)(3),19(क)(ख),21(1)(2)	—	07
1986-87	3टि0(4)(5),4टि0(1),6(1)(2)(3),7(1),10(3),15(2)(3),17,18,19(1)(2)(3),20(3)(4),21,22(1),24(क)(ख)(ग),25(1)(2)(3)(ख)(ग),30(1)(2)(3),32	—	31
1987-88	3टि0(3)(5)(6),4टि0(1)(2)(3),7(क)टि0(1)(2),7(ख)टि0,8टि0(1)(2)(3),9टि0(1)(2),14(ख),15(ख)(ग)(घ)टि0(1),16(1)(2)(3),17,18टि0(1)(2),19टि0,20,21,22(1)(2),29(क)(ख)(ग)(घ),30(1)(2)(3)(4),35,36(1)(2)	—	40

9. नजूल :- नजूल पंजिका सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे इसकी स्थिति अज्ञात रही। गत वर्ष भी इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसे प्रस्तुत किया जाय।

10. बजट समीक्षा :- आलोच्य वर्ष का अनुमानित बजट आय रू0 602880000.00 तथा अनुमानित व्यय रू0 662625000.00 का था। इसमें प्रा0 शेष 35247925.00 दर्शाया गया था। पुनरीक्षित बजट वर्ष के अन्त में दिनांक 14.03.2017 को बनाया गया था तथा इसके प्रा0 शेष रू0 182247364.00 तथा व्यय रू0 662625000.00 दर्शाया गया था। आय की मुख्य मदों की स्थिति निम्नवत थी:-

मद	अनुमानित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
गृहकर	7500000.00	8500536.00	113 प्रतिशत
जलकर	8000000.00	8308064.00	104 प्रतिशत
आराजी/राजस्व ठेका	8500000.00	3705863.00	44 प्रतिशत
दुकान किराया	4000000.00	5668018.00	142 प्रतिशत
जलमूल्य	5000000.00	4431398.00	89 प्रतिशत
लाइसेन्स	960000.00	551885.00	57 प्रतिशत

इस प्रकार आराजी/राजस्व ठेका तथा लाइसेन्स में अनुमान से बहुत कम आय हुयी थी। अन्य मदों में नोट बन्दी अवधि में वसूली अधिक होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी थी। आय मदों में (लाइसेन्स को छोड़कर) माँग वसूली पंजिकायें अपूर्ण रहने के कारण बकाया की स्थिति स्पष्ट नहीं थी जिससे अनुमान का आधार स्पष्ट नहीं हो सका। भविष्य में बकाया तथा चालू माँग के योग के अनुसार बजट में आय अनुमान दर्शाया जाय।

11. गृहकर, जलकर, जलमूल्य तथा दुकान/आराजी किराया की माँग वसूली पंजिकायें अपूर्ण :- गृहकर, जलकर, जलमूल्य तथा दुकान एवं आराजी किराया किराया की माँग वसूली पंजिकाओं की जाँच में देखा गया कि यह पंजिकायें विगत कई वर्षों से अपूर्ण थी। इनमें वर्ष के अन्त में अवशेष अंकित नहीं किया गया था और न ही माँग वसूली तथा बकाया का पृष्ठ वाइज मोहल्ला/वार्ड वार योग अंकित कर वार्षिक गौसवारा बनाया गया था। वसूल धनराशि की प्रविष्टियाँ भी सम्बन्धित अवधि में न कर अन्य वर्ष में कर दी जाती थी गौसवारा न बनाये जाने से वर्ष में दर्शायी गयी कुल वसूली का मिलान लेखानुभाग के अभिलेखों से नहीं किया जा सका। और न ही रसीदों की पोस्टिंग की जाँच हो सकी। यह स्थिति पालिका के हितों के विपरीत थी। पंजिकाओं की अवलोकन से स्पष्ट था कि मात्र 10 प्रतिशत बकायादारों द्वारा ही धनराशि जमा की जा रही थी। वसूली की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक थी। अतः पंजिकायें पूर्ण कर तथा वार्षिक गौसवारा बनाकर इन्हें आगामी सम्परीक्षा में दिखाया जाय।

स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब कोई पद शेष नहीं है।

स्थान:- कानपुर।

दिनांक:-26.06.2018

राघवेन्द्र कुमार विश्‍नोई(प्रभारी)  
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

( देवेन्द्र )  
उपनिदेशक  
कानपुर मण्डल, कानपुर



टाया- भूलवश अमृत योजना की जल निगम को अन्तरित धनराशि	300000.00
बैंक शेष होना चाहिए	4649315.00
वास्तविक बैंक शेष	5215577.00

अतः अन्तर धनराशि रू0 566262.00 का के कारण बैंक समाधान विवरण बनाकर स्पष्ट किया जाये।

6. अटल नवीनीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान :- पालिका को आलोच्य वर्ष में अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजनान्तर्गत निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उ0 प्र0 8 वॉ तल इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा पी0 एन0 बी0 खाता सं0-0294001100000696 में निम्नांकित अनुदान बैंक खाते में प्राप्त हुये थे। -

क्र0	विवरण	धनराशि
1.	शा0सं0-1518(2)/नौ-5-2016 दिनांक 25.04.2016	2500000.00
2.	शा0सं0 एस0 एम0एस0यू0/742/39/2016 लखनऊ दिनांक 17.10.16	275000.00
3.	शा0सं0-318/2016/2211/नौ-5-2016-154 बजट/2016 दिनांक 27.10.16	28924000.00
	योग	31699000.00

उक्त के अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में बैंक ब्याज के रूप में रू0 341020.00 प्राप्त हुआ था। सम्परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़बही के अनुसार आलोच्य वर्ष में इस खाते की वित्तीय स्थिति निम्नवत थी :-

01.04.16 को प्रा0 शेष	शून्य
आय	32040020.00
योग	32040020.00
व्यय	30428694.00
इतिशेष	1611326.00
बैंक में शेष	1910176.00

टिप्पणी :- (1) उक्त धनराशि में प्राप्त अनुदान 28924000.00 दिनांक 18.03.17 को कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 जल निगम इटावा को गृह पेयजल संयोजन करने हेतु निर्गत की गयी थी। अनुदान रू0 2500000.00 से रू0 1200000.00 क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र ( शहरी विकास मन्त्रालय भारत सरकार) लखनऊ को तथा रू0 300000.00 जल निगम लखनऊ को एस0 एल0 आई0 पी0/एस0 ए0 पी0 तैयार करने हेतु निर्गत की गयी थी।

(2) बैंक शेष तथा रोकड़बही शेष में अन्तर का कारण रू0 300000.00 (जल निगम को अन्तरित धनराशि) की चैक स्वच्छ भारत मिशन खाते से त्रुटिवश निर्गत होना था तथा रू0 1150.00 बैंक चार्ज रोकड़बही में न दर्शाया जाना था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

7. सम्परीक्षा शुल्क :- पालिका की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा हेतु आवंटित 120 मानव दिवस पर निम्नवत सम्परीक्षा शुल्क आरोपित कर सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप निर्गत किया गया :-

पद	समय	दर प्रति दिवस	धनराशि
1. सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	60 दिवस	14400.00	864000.00
2. लेखा परीक्षक	60 दिवस	8400.00	504000.00
		योग	1368000.00

अतः देय धनराशि रू0 1368000.00 यथा शीघ्र निर्धारित लेखा शीर्षक में कोषागार चालान द्वारा जमा कर चालान की छायाप्रति प्रस्तुत की जाय।

गत वर्ष 2015-16 का सम्परीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया था।

8. राजकीय ऋण :- आलोच्य वर्ष में पालिका को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नहीं हुआ था। इस कथन की पुष्टि की जाय।

योग	131871491.92	62877444.86
व्यय	64673037.93	41663570.00
इतिशेष	67198463.99	21213874.86
जोड़िये- न भुने चैक	9455167.00	4406522.00
योग	76653630.99	25620396.86
वास्तविक बैंक शेष	76692765.99	25620396.86
अन्तर	39135.00	(रा०वि०खाते में)
	बैंक में अधिक	

न भुने चैकों का विवरण :-

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक सं०	दिनांक	धनराशि
085086	30.03.17	1004239.00	291544 से 49 तक		
085087	30.03.17	201709.00	291550	30.03.17	3824004.00
085088	30.03.17	568188.00	291553	31.03.17	166907.00
085089	30.03.17	1382392.00	291554	31.03.17	294115.00
085090	31.03.17	1113512.00	291555	31.03.17	73526.00
085092	31.03.17	1195057.00		31.03.17	47970.00
085098	31.03.17	2879793.00			
085094	31.03.17	334937.00			
085096	31.03.17	102919.00			
085097	31.03.17	82261.00			
085095	31.03.17	590199.00			
	योग	9455167.00		योग	4406522.00

5. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की वित्तीय स्थिति :- पालिका को आलोच्य वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु निम्नांकित अनुदान प्राप्त हुये थे :-

क्र०	राज्य मिशन निदेशक के पत्रांक	प्राप्ति दिनांक	धनराशि
1.	पी०एम०यू०/75/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 27.04.16	02.05.16	1181269.00
2.	पी०एम०यू०/93/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 23.05.16	27.05.16	914000.00
3.	पी०एम०यू०/192/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 14.07.16	25.07.16	2106000.00
4.	पी०एम०यू०/418/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 29.09.16	03.10.16	32000.00
5.	पी०एम०यू०/333/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 25.10.16	26.10.16	4000.00
6.	पी०एम०यू०/350/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 15.11.16	18.11.16	8000.00
7.	पी०एम०यू०/372/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 15.12.16	21.12.16	156000.00
8.	पी०एम०यू०/388/427/58 एम०/2015-16 दिनांक 03.01.17	05.01.17	68000.00
		योग	4469269.00
	एकाउन्ट नं०-4483000100036913 में वर्ष में प्राप्त बैंक ब्याज		176752.00
	कुल आय		4646021.00

सम्परीक्षा में प्रस्तुत स्वच्छ भारत मिशन की रोकड़बर्ही के अनुसार आलोच्य वर्ष में इसकी वित्तीय स्थिति निम्नवत थी :-

01.04.16 को प्रा० शेष	1435844.00
वर्ष की आय	4646021.00
योग	6081865.00
व्यय	1132550.00
इतिशेष	4949315.00

## भाग-ख

1. गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :- गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी। गत एवं विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियाँ जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दिया गया है, का अनुपालन कर निस्तारण की कार्यवाही की जाये। पालिका द्वारा आलोच्य वर्ष में निस्तारित करायी गयी आपत्तियों की सूची से हटा दिया गया है।

2. वित्तीय स्थिति :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आलोच्य वर्ष में पालिका की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "ख" के अनुसार थी।

टिप्पणी:- (1) बैंक समाधान विवरण विगत कई वर्षों से नहीं बनाया जा रहा था, इसे बनाकर अवशेषों में अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाये।

(2) सम्परीक्षा में सभी बैंक खातों की बैंक पासबुकें/स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किये गये। उदाहरणार्थ-

(1) कोषागार पी0 एल0 खाता

(2) पी0 एन0 बी0 खाता सं0-0163002100003615

(3) आई0 डी0 बी0 आई0 बैंक खाता सं0-1064104000006484

(4) इलाहाबाद बैंक खाता संख्या-20487303151

इन्हें प्रस्तुत किया जाय तथा यदि इनके अतिरिक्त अन्य बैंक खाते हों तो उन्हें भी प्रस्तुत किया जाय। अन्य बैंक खाते न होने की पुष्टि की जाय।

(3) आलोच्य वर्ष में नोट बन्दी अवधि में संगठित विकास योजना की आय रू0 599288.00 ( दिनांक 11.11.16 से 07.12.16 तक) में रू0 49080.00 जिला सहकारी बैंक खाता तथा रू0 550208.00 राज्य वित्त एस0 बी0 आई0 खाता में जमा की गयी थी। इसे अभी तक बैंक आफ बड़ौदा में खुले संगठित विकास योजना खाते में जमा नहीं किया गया था। इसे वापस किया जाय।

(4) अनावश्यक बैंक खातों को बन्द किया जाय।

(5) न भुने चैकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(6) आय- व्यय का मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(7) आय-व्यय की संहत स्थिति परिशिष्ट "ग" में दी गयी है।

3. नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व :- पालिका द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार नहीं किया गया था, जिससे इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। इसे तैयार कर दिखाया जाय।

4. राजकीय अनुदान :- प्रमाणित किया जाता है कि पालिका को आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदानों जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है, का उपभोग निर्धारित शर्तों एवं उद्देश्यों के अधीन किया गया था तथा इस आख्या में यथास्थान वर्णित अभ्युक्तियों के अतिरिक्त उनका विचलन नहीं किया गया था।

विवरण	धनराशि
1. राज्य वित्त आयोग	357969866.00
2. तेरहवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग	72159266.00
3. अवस्थापना विकास निधि( 2 प्रतिशत स्टाम्प ) योग	32857369.00
13 वाँ वित्त आयोग पर बैंक ब्याज + योग	462984501.00
	2497523.00
	465482024.00

टिप्पणी :- (1) अनुदान पंजिका अनुरक्षित नहीं थी। इसे निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित कर दिया जाय।

(2) उक्त दर्शाये गये अनुदानों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुदान प्राप्त न होने की पुष्टि की जाय।

(3) प्राप्त अनुदानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। अप्रयुक्त अनुदानों का विवरण परिशिष्ट "ड0" में दिया गया है।

(4) अवस्थापना विकास निधि तथा 14 वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों तथा आलोच्य वर्ष में इनके आय- व्यय तथा अवशेष की स्थिति निम्नवत थी :-

विवरण	14 वाँ वित्त आयोग	अवस्थापना निधि
प्रा0 शेष	59214702.92	30020075.86
आय ( ब्याज सहित )	74656789.00	32857369.00

जाता है। एवं कर्मचारी द्वारा रसीद स्वतः रद्द करके धनराशि नकद वापस कर दी जाती थी। यह अनियमित था। सीवर टैंकर की बुकिंग के लिये कोई पंजिका भी अनुरक्षित नहीं थी जिससे इसके दुरुपयोग की सम्भावना थी। रसीद किस कारण रद्द की गयी इसका उल्लेख रसीद पर नहीं किया जाता था न ही इसे अधिशासी अधिकारी से सत्यापित कराया जाता था। नियमानुसार वसूल धनराशि बैंक में जमा होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैंक के माध्यम से वापस की जानी चाहिए। वसूली कर्मचारी द्वारा रसीद निरस्त कर धनराशि वापस करना धनराशि तथा सीवर टैंकर के दुरुपयोग को इंगित करता है।


1. रसीद सं० 754059 दिनांक 29.07.16	3000.00
2. रसीद सं० 754074 दिनांक 07.09.16	3000.00
योग	6000.00

इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(16) पालिका द्वारा शासकीय भवनों की मरम्मत पर अनियमित व्यय :- निर्माण पत्रावलियों में देखा गया कि पालिका द्वारा शासकीय भवनों में मरम्मत पुताई तथा शौचालय निर्माण आदि कार्य कराये गये थे। जो नियमित था। नियमानुसार शासकीय भवनों की मरम्मत/निर्माण पर व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा ही किया जाना चाहिए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है।-

क्र०	वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	85	07.09.16	275584	जिलाधिकारी आवास की बाउन्ड्रीवाल मरम्मत एवु पुताई आदि
2.	88	16.12.16	298923	जी०जी०आई०पी०कैम्पस में 3सीटेड शौचालय निर्माण हेतु

स्थान:- कानपुर।  
दिनांक:- 26.06.2018

  
( देवेन्द्र )  
उप निदेशक  
कानपुर मण्डल कानपुर

सा-08  
2018-19

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद  
सम्परीक्षा आख्या

लेखे का नाम - अकेन्द्रीयत कर्मचारी पेंशन निधि नगर पालिका परिषद इटावा।

अवधि :- वर्ष 2016-17

सम्परीक्षा के दिनांक :- लेखे की सम्परीक्षा दिनांक 01.06.2018 को प्रारम्भ की गयी एवं इसका समापन दिनांक 04.06.2018 को किया गया।

प्रशासन :- आलोच्य वर्ष में पालिका के अध्यक्ष पद पर श्री कुलदीप गुप्ता आसीन रहे। अधिशासी अधिकारी पद पर श्रीमती नीलम चौधरी कार्यरत रही। आहरण वितरण आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा निर्गत पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया इटावा द्वारा किया गया।

सम्परीक्षा का स्वरूप :- उपलेखा परीक्षा।

भाग-(क)

(क) वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमिततायें:-

(1) बैंक स्टेट मेन्ट अप्रस्तुत :- पालिका का पेंशन निधि खाता सं0-11122296475 स्टेट बैंक आफ इण्डिया इटावा शाखा में संचालित था। सम्परीक्षा में इससे सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे आलोच्य वर्ष में पेंशन अंशदान के रूप में पालिका द्वारा जमा की गयी धनराशि का मिलान नहीं किया जा सका। स्टेटमेन्ट के अभाव में इसका प्रारम्भिक तथा अन्तिम अवशेष की स्थिति अज्ञात रही अतः इसे प्रस्तुत किया जाय।

दिनांक- 26.06.2018

लेखाकार/10.8  
शु. ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण करवाकर  
आख्या 03 दिन में प्रस्तुत करें।

Executive Officer  
Nagar Palika Parishad  
Etawah  
25/07/18

( देवेन्द्र )  
उपनिदेशक  
कानपुर मण्डल कानपुर

मरम्मत हेतु बिल सं० 40 से 58 दिनांक 05.08.16 का कुल भुगतान रू० 210802.00 किया गया था। सभी 19 बिल मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.08.16 को प्रमाणित किये गये थे। किसी भी बिल के साथ वाहन चालक द्वारा वाहन खराब होने से सम्बन्धित कोई आख्या संलग्न नहीं थी। और न ही बिलों पर कार्य संतोष जनक होने की आख्या अंकित थी। पालिका में वाहन पंजिकाये अनुरक्षित नहीं थी। जिससे वाहनों के इतिहास, समय-2 पर करायी गयी मरम्मतों बदले गये पुर्जे (पार्ट्स), टायर ट्यूब आदि का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। वाहन पंजिका अनुरक्षित न किये जाने से एक ही वाहन में एकही कार्य हेतु अनेक बार भुगतान की आशंका थी। इसके अतिरिक्त वाहन मरम्मत का कार्य यातायात विभाग द्वारा प्राप्त गैराज से न कराकर ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था। उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित ठेकेदार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित था। तथा इनके बिलों पर भी वाहन मरम्मत का कार्य होने का उल्लेख नहीं था। मरम्मत कार्य में अनेक स्पेयर पार्ट्स इंजर आयल तथा बैट्री आदि बदलने का उल्लेख था। जिससे सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता के बिल न होने से भुगतान संदिग्ध था। और न ही पुरानी बैट्री आयल, तथा पार्ट्स की वापसी अथवा इनके मूल्य का समायोजन बिल में दर्शाया गया था। सभी 19 बिल एक साथ दिनांक 05.08.16 को एक ही हस्तलिपि में भरे गये थे। मरम्मत कार्य का उल्लेख वाहन की लागबुक में नहीं था। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार के बिल दिये जाने से स्पष्ट था कि इन्हें मात्र नगर पालिका में लगाये जाने हेतु छपाया गया था। तथा इनके द्वारा वास्तव में न तो कोई मरम्मत कार्य किया जाता था और न ही इनका कोई अपना गैराज था।

एक ही दिनांक में एक ही वाहन हेतु एक से अधिक बिल लगाये गये थे। उदाहरणार्थ बिल सं० 40 तथा 43 लोडर नं० 4 की सर्विस/मरम्मत हेतु क्रमशः रू० 17249.00 तथा 12830.00 का लगाया गया था। इसी प्रकार बिल सं० 45, 47 तथा 54 टैक्टर सं० यू० जी० 75 जे 9605 की मरम्मत तथा नई बैट्री हेतु क्रमशः रू० 2990.00 रू० 19275.00 तथा रू० 12270.00 का था। इसी प्रकार बिल सं० 52 तथा 53 क्रमशः रू० 18164.00 तथा रू० 2930.00 का लोडर नं० 5 की मरम्मत हेतु था। इन्हें स्पष्ट किया जाय तथा वाहन पंजिकायें अनुरक्षित कर उपरोक्त अनियमितताओं का निराकरण किया जाय।

**(13) ठेका रेत बालू नाका टिक्सी मंदिर पत्रावली अप्रस्तुत :-** सम्परीक्षा में ठेका तहबाजारी राजस्व की जाँच में देखा गया कि आलोच्य वर्ष हेतु निविदा सूचना संख्या-223/सा०प्रा०-रा० वि०/2016-17 दिनांक 09.06.2016 द्वारा निम्नांकित ठेकों हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी -

क्र०	ठेके का नाम	अवधि
1.	ठेका लोडिंग/अनलोडिंग	31.03.17 तक
2.	ठेका होडिंग	31.03.17 तक
3.	ठेका टैक्सी टेम्पो	31.03.17 तक
4.	ठेका रेत बालू नाका टिक्सी मंदिर	31.03.17 तक

उक्त ठेकों में क्रमांक-4 पर अंकित ठेका रेत बालू टिक्सी मंदिर की पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। सम्परीक्षा में मौखिक रूप से बताया गया कि यह ठेका विगत कई वर्षों से नहीं उठ रहा है। आलोच्य वर्ष हेतु भी इसके लिये कोई निविदा प्राप्त नहीं हुयी थी। पत्रावली प्रस्तुत की जाये जिससे ठेका न उठाने की स्थिति स्पष्ट हो सके।

**(14) पालिका द्वारा क्रय किये गये शव वाहन तथा एम्बुलेन्स का उपयोग न होना :-** सम्परीक्षा में देखा गया कि गत वर्ष 2015-16 में दिनांक 11.09.15 को फोर्स कम्पनी एम्बुलेन्स वाहन रू० 1472000.00 तथा शव वाहन रू० 1646000.00 का क्रय किया गया था। परन्तु उनका उपयोग न होने से सम्बन्धित वाहन निष्प्रयोज्य खड़े हुये हैं। सम्परीक्षा में बताया गया कि एम्बुलेन्स का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया तथा शव वाहन भी माही में एक या दो बार ही प्रयोग किया जाता है। वाहनों के न चलने से इनके शीघ्र खराब होने की सम्भावना थी। बिना उपयोगिता के उनके क्रय किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसके अतिरिक्त पालिका द्वारा इनके जन उपयोग हेतु कोई प्रचार नहीं किया गया था। और न ही इनको चलाने हेतु कोई किराया तथा नियमावली निर्धारित की गयी थी।

अतः इनकी उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। सम्परीक्षा में इनकी लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की गयी इसे प्रस्तुत किया जाय।

**(15) सीवर टैंकर शुल्क की अनियमित वापसी रू० 6,000.00 :-** सम्परीक्षा के दौरान देखा गया कि सीवर टैंक हेतु जो रसीद जारी की जाती है उस रसीद जारी की जाती है उस रसीद पर दिनांक का उल्लेख नहीं किया

जाती है जिससे रसीद बुकों के दुरुपयोग तथा धनराशि के व्यपहरण की सम्भावना बनी रहती है। नियमानुसार पूर्व निर्गत रसीद बुक कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही अगली रसीद बुक निर्गत की जानी चाहिए तथा भरी हुयी रसीद बुक की समस्त धनराशि कार्यालय में जमा होने का प्रमाण पत्र भी रोकड़िया/लेखाकार द्वारा दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

**(9) टेण्डर विक्रय पंजिका अनुरक्षित न किया जाना :-** सम्परीक्षा में देखा गया कि निर्माण कार्यो तथा भण्डार क्य में ठेकेदारों को कार्यालय से विक्रय की जाने वाली निविदा प्रपत्र की पंजिका अनुरक्षित नहीं की गयी थी जिससे इसकी जाँच पत्रावली में संलग्न निविदाओं से नहीं की जा सकी। पंजिका अनुरक्षित न होने से किसी कार्य विशेष में बिक्री की गयी निविदाओं को एक ही निविदा दाता द्वारा क्य कर प्रथक-2 नाम से डाला जाना सम्भावित था। पत्रावलियों में संलग्न अनेक निविदाओं के साथ अर्नेस्ट मनी जमा न होने निविदा दाता का परिचय प्रमाणित होने से सम्बन्धित प्रपत्र पता दूरभाष संख्या आदि न होने ने इस आशंका को बल मिलता है। अतः प्रत्येक कार्य/आपूर्ति हेतु विक्रय की गयी निविदाओं का लेखा अनुरक्षित किया जाय।

**(10) बिना बोर्ड प्रस्ताव के राज्य वित्त तथा अवस्थापना निधि के कार्यो का निविदा आमंत्रण तथा वर्क आर्डर निर्गत किया जाना रू0 10,72,72,798.00 कुल 75 कार्य :-** अवस्थापना निधि तथा राज्य वित्त से आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यो की पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि बोर्ड प्रस्ताव सं0-37 दिनांक 18.05.16 द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यो की टेण्डर कार्यवाही इस दिनांक के पूर्व ही पूर्ण कर वर्क आर्डर दिनांक 17.05.16 को निर्गत किये गये थे। विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक 27.04.16 ( अमर उजाला लखनऊ) 28.04.16 (दैनिक जागरण) में अवस्थापना निधि के कुल 30 कार्य जिनका आगणन रू0 35383000.00 था के अनुसार निविदा प्रपत्र दिनांक 10.05.16 को शाम 4 बजे तक निर्धारित मूल्य पर क्य किये जा सकते थे जिन्हें दिनांक 13.05.16 को अपर जिलाधिकारी इटावा के कक्ष में खोला जाना था। इसमें निविदा खोले जाने का समय अंकित नहीं था। इसके साथ राज्य वित्त से कराये जाने वाले कमांक 31 से 75 तक के कार्य रू0 71889798.00 की भी विज्ञप्ति थी इस प्रकार कुल 75 कार्यो की निविदाओं को एक ही दिनांक में खोला जाना था।

इस प्रकार बोर्ड प्रस्ताव के पूर्व ही समस्त निविदा कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी थी। उदाहरण स्वरूप कुछ कार्यो का विवरण निम्नवत है -

1.	मौ0 आवास विकास कालोनी में रामबरन के मकान के सामने पर्क का सौन्दर्यीकरण कार्य स्टीमेट	463087.00
2.	शिवा कालोनी रामनगर में मुकुट सिंह की दुकान से विजय सिंह के मकान तथा नाली तथा इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण स्टीमेट	1152800.00
3.	मौ0 मुन्नी अड्डा में कपूर के मकान से आजाद यादव के मकान होकर रमेश चन्द्र के मकान तक नाली इण्टरलाकिंग सड़क स्लैब स्टीमेट	1249500.00

**(11) ठेकेदार मौ0 चन्द्र प्रभा ट्रेडर्स वा0 सं0 216 दिनांक 30.06.16 बिल धनराशि 9,79,402.00 मिटटी कार्य में अधिक भुगतान रू0 8,888.00 :-** मौ0 तुलसी अड्डा में लोहिया गैस एजेन्सी वाली रोड पर राजवीर के मकान के पास इण्टरलाकिंग कार्य इस्टीमेट 975600.00 की जाँच में देखा गया कि अर्थ फिलिंग वर्क इस्टीमेट 621 घन मौ0 के स्थान पर 897.42 घन मौ0 का भुगतान किया गया था। जो 44 प्रतिशत अधिक था। इसे स्पष्ट किया जाय। उक्त के अतिरिक्त अर्थ फिलिंग कार्य की पैमाइश माप पुस्तिका सं0 284 के पृष्ठ 1 पर दर्शायी गयी थी। अर्थ वर्क 3 लेयर में दर्शाया गया था जिसमें द्वितीय लेयर की पैमाइश 327.83 (0.95+0.85) कुल मात्रा 295.04 घन मौ0 में 12.5 सेटलमेन्ट कटौती नहीं की गयी थी जिससे 36.88 घन मौ0 का रू0 241.00 की दर से रू0 8888.00 अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली कर दिखायी जाय।

इस्टीमेट में 3.50×1.20×0.20 साइज के दो स्लैब कार्य शामिल थे। इन्हें ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया था। तथा इस धनराशि का समायोजन मिटटी कार्य बढ़ाकर किया गया था। इस्टीमेट में स्लैब दर्शाये जाने तथा इन्हें न बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

**(12) वाहन मरम्मत मद में संदिग्ध भुगतान रू0 2,10,802.00 :-** व्यय प्रमाणकों की जाँच में देखा गया कि वाउचर संख्या 42 तथा 43 दिनांक 07.09.16 द्वारा माँ पीताम्बर ट्रेडर्स (ठेकेदार) को पालिका के वाहनों की

न का रू0 250.00 से 1000.00 तक दर निर्धारित थी। अतः निम्नानुसार शासनादेश में निर्धारित दरों से वसूली की जाय।

**(6) नर्सिंग होम/अस्पतालों के लाइसेन्स न बनाये जाने से क्षति :-** लाइसेन्स अनुभाग की जाँच में देखा गया कि शा0 सं0-2399/नौ-9-94-204 जनरल/90 दिनांक 27.10.94 शा0 सं0-1847/नौ-9-97-23ज/97 दिनांक 09.06.97 के क्रम में निर्गत शा0 सं0 161 सी0 एम0/नौ-9-97-23ज/97 दिनांक 16.12.97 द्वारा स्थानीय निकायों में कुल 39 मदों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया गया था जिसमें अस्पतालों तथा नर्सिंग होम पर भी लाइसेन्स शुल्क निम्नवत लागू किया गया था :-

क्र0	विवरण	दर
1.	नर्सिंग होम 20 बेड तक	2000.00
2.	नर्सिंग हो 20 बेड से ऊपर	5000.00
3.	प्रसूति गृह 20 बेड तक	4000.00
4.	प्रसूति गृह 20 बेड से ऊपर	5000.00
5.	प्राइवेट अस्पताल	5000.00
6.	पैथालाजी सेन्टर	1000.00
7.	एक्सरे क्लीनिक	2000.00
8.	डेंटल क्लीनिक	4000.00
9.	प्राइवेट क्लीनिक	3000.00

उक्त के सम्बन्ध में इण्डियन मेडिकल एसोसियशन द्वारा अस्पतालों/नर्सिंग होम पर लगाये जाने वाले लाइसेन्स शुल्क को स्थगित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट सं0-18373/2000 में दिये गये अन्तरित स्टे आर्डर के आधार पर शा0 सं0-213 एम/नौ-9-2001/23ज/97 टी0 सी0-2 दिनांक 24.12.2001 द्वारा लाइसेन्स की वसूली अग्रेतर आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिये गये थे। उक्त रिट मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2006 द्वारा खारिज (अपास्त) कर दी गयी थी जिसके अनुपालन में शा0 सं0-445/9-9-14-23ज/97 टी0 सी0 दिनांक 30.05.2014 द्वारा शासनादेश दिनांक 24.12.2001 द्वारा लाइसेन्स शुल्क वसूली स्थगित किये जाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर शासनादेश दिनांक 16.12.97 द्वारा नर्सिंग होम/अस्पतालों पर निर्धारित लाइसेन्स शुल्क की वसूली को तुरन्त प्रभाव से पुनः लागू किये जाने के निदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में पालिका द्वारा दिनांक 30.06.2014 को समाचार पत्र अमर उजाला तथा हिन्दुस्तान में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी।

उक्त के अनुसार वर्ष 2014-15 से उक्त लाइसेन्स बनाये जाने थे। परन्तु सम्परीक्षा वर्ष तक एक भी लाइसेन्स नहीं बनाया गया जिसका कोई उचित कारण सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया। सम्परीक्षा में प्रस्तुत इस कार्यवाही की पत्रावली के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी इटावा से प्राप्त सूची ( पत्रांक 4332 दिनांक 15.07.14) के अनुसार नगर में कुल 219 मेडिकल संस्थान थे जिनके लाइसेन्स बनाये जाने थे। विगत तीन वर्षों में न्यूनतम रू0 600000.00 प्रति वर्ष की दर से 1800000.00 की आय हो सकती थी। परन्तु पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते पालिका को इस आय की क्षति हुयी थी। इस ओर पालिका प्रशासन/शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**(7) वसूल की गयी धनराशि को कार्यालय में समय से जमा न किया जाना :-** सम्परीक्षा के दौरान देखा गया कि वसूली कर्मचारियों द्वारा जो धनराशि वसूल की जाती है वह कार्यालय में समय से जमा नहीं की जाती है। वसूली कर्मचारियों द्वारा रसीद जारी करते समय रसीद पर दिनांक उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि कैशियर के पास धनराशि जमा दिनांक ही रसीद पर अंकित कर दी जाती है। यह अनियमित था। नियमानुसार दिनांक का उल्लेख रसीद जारी करते समय ही करना चाहिए विगत वर्षों में भी इस प्रकार की आपत्ति उठाई गयी थी। अतः रसीद जारी करते समय दिनांक का उल्लेख करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

**(8) एम0 ए0 सी0-05 (फार्म-05) के दुरुपयोग होने की सम्भावना :-** सम्परीक्षा के दौरान आय मिलान की जाँच में देखा गया कि वसूली कर्मचारियों के पास एक समय में एक से अधिक रसीद बुकें (एम0 ए0 सी0-05) बनी रहती है। भरी हुयी रसीद बुक को दाखिल दफ्तर कराये बिना ही उन्हीं अगली रसीद बुक निर्गत कर दी



अमान्य थी। इसी प्रकार वार्षिक अनुरक्षण भुगतान रू0 142200.00 अनियमित था। वाटर कूलर की गारण्टी अवधि में इसकी आवश्यकता नहीं थी। वाटर कूलरों की स्थापना पाइप लाइन तथा तथा विद्युत पोल/नाली के पास की गयी थी परन्तु इलेक्ट्रिक कनेक्शन तथा सिनेटरी फिटिंग रू0 20000.00 चार्ज किया गया था, जो अधिकतम रू0 5000.00 होना चाहिए। आयर बाक्स का भुगतान नग के अनुसार किया गया था जबकि वनज के अनुसार भुगतान देय था। इसकी दर अत्यधिक उच्च थी। इसकी पेटिंग का भुगतान प्रथक से रू0 3000.00 की दर से किया गया था जो अनियमित था। प्रत्येक कार्य में आपूर्ति तथा स्थापना कार्य शामिल था परन्तु प्रथम से इन्टालेशन चार्ज रू0 5000.00 लिया गया था जो अनियमित था। प्रत्येक सामग्री की दरे अत्यधिक उच्च थी, इसके बावजूद कान्ट्रेक्टर प्राफिट 10 प्रतिशत तथा निविदा दर से 5 प्रतिशत उच्च पर भुगतान किया गया था जो अनियमित था। 4 नग तथा 10 नग की दरों में अन्तर था जबकि आपूर्ति एक समान थी। इसे भी स्पष्ट किया जाय।

इस प्रकार उक्त 14 वाटर कूलर की बिल धनराशि रू0 2045090.00 में लगभग रू0 1000000.00 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। ठेकेदार द्वारा प्लेटफार्म का निर्माण न किये जाने पर भी इसका भुगतान का औचित्य स्पष्ट कर इसकी वसूली की कार्यवाही की जाय।

**(3) निर्माण कार्यों की प्राप्त निविदाओं में अर्नेस्ट मनी जमा का विवरण अंकित न किया जाना 10 प्रतिशत जमानत की पुष्टि न होना :-** अवस्थापना निधि के कार्यों की प्राप्त निविदाओं में ठेकेदार द्वारा अर्नेस्टमनी जमा का विवरण अंकित नहीं किया गया था। जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि टेण्डर के साथ अर्नेस्टमनी जमा का प्रमाण था या नहीं। पालिका कार्यालय द्वारा भी निविदा प्रपत्रों में इसका विवरण अंकित किये जाने हेतु कालम नहीं बनाया गया था। सम्परीक्षा में देखा गया कि प्राप्त दर्शायी गयी निविदाओं के साथ पत्रावली में स्वीकृत निविदा को छोड़कर अन्य निविदाओं के साथ अर्नेस्टमनी जमा की छाया प्रतियाँ संलग्न थी। स्वीकृत निविदा की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। स्वीकृत निविदा के अनुबन्ध पत्र में 10 प्रतिशत जमानत जमा का विवरण अंकित था। परन्तु इससे जमा की पुष्टि नहीं होती। क्योंकि पत्रावली में कार्य समाप्ति के 6 माह बाद जमानत अर्नेस्टमनी के रूप में जमा सावधि जमा पत्र के वापस करने की कोई कार्यवाही नहीं थी। कार्यालय में भी जमानत पंजी अनुरक्षित नहीं थी। इससे बिना जमानत के ही कार्य कराये जाने तथा ठेकेदार को कार्य का पूर्ण भुगतान किया गया स्पष्ट था। किसी बिल से भी जमानत नहीं काटी गयी थी। कार्य के पूर्ण होने के 6 माह बाद कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई आख्या पत्रावली में नहीं थी। अनुबन्ध पत्र में जमा दर्शायी गयी 10 प्रतिशत जमानत एक ही सावधि जमा पत्र (टेण्डर दिनांक के पूर्व की ) का विवरण अंकित था जो संदिग्ध था। टेण्डर दिनांक के पूर्व ही 10 प्रतिशत जमानत जमा से स्पष्ट था कि ठेका बिना टेण्डर कार्यवाही के ही पूर्व निर्धारित ठेकेदार को दे दिया गया था। टेण्डर कार्यवाही मात्र औपचारिकता थी। उदाहरणार्थ अवस्थाना निधि पत्रावली मो0 शिवा कालोनी में रामनगर में मुकुट सिंह के मकान से विजयसिंह के मकान तक ठेकेदार एम0 सी0 कान्ट्रेक्टर स्टीमेट रू0 1152800.00 वाउचर सं0-2 दिनांक 08.08.2016।

**(4) वा0 सं0 29 दिनांक 06.07.16 आलोक एस0 एन0 अग्रवाल एण्ड एसोसियेट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को दोहरा लेखा प्रणाली हेतु वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 का भुगतान रू0 2,97,300.00 :-** पार्षांकित वाउचर द्वारा मै0 आलोक एस0 एन0 अग्रवाल एण्ड एसोसियेट को दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार पालिका के वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के अभिलेख अनुरक्षित किये जाने हेतु चैक सं0-169284 दिनांक 06.07.16 द्वारा रू0 297300.00 का भुगतान किया गया था। इससे सम्बन्धित पत्रावली तथा दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार बनाये गये अभिलेख सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः सम्बन्धित अभिलेख तथा बैलेन्स शीट सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय जिससे भुगतान के औचित्य की जाँच की जा सके।

**(5) रेस्टोरेन्ट, मिष्ठान भण्डार आदि पर लाइसेन्स शुल्क कम दर से वसूल किया जाना :-** लाइसेन्स अनुभाग की जाँच में देखा गया कि शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27.10.94 द्वारा लाइसेन्स दरों की सूची में क्रमांक 9 पर अंकित रेस्टोरेन्ट की दर 600.00 से 1800.00 तक निर्धारित थी। परन्तु पालिका द्वारा मात्र 50.00 वार्षिक दर पर खाना खाने के होटल/रेस्टोरेन्ट/उच्च श्रेणी की मिठाई दुकानों का लाइसेन्स बनाया गया था। कुछ मिष्ठान भण्डार तथा रेस्टोरेन्ट से मात्र रू0 10.00 शुल्क वसूल किया गया था। इससे लाइसेन्स शुल्क मनमानी दरों पर वसूल कर पालिका की क्षति पहुँचाने की पुष्टि होती है। उक्त शासनादेश में दुकान क्रमांक 15 तथा 16 पर मिठाई दुकान रू0 500.00 से 3000.00 तथा चाट बताशा की

पालिका द्वारा कुटेशन कार्यवाही कर इसका किराया रू0 1000.00 कर दिया गया था तथा इसी दर से इस वाहन का जुलाई 2016 से नवम्बर 2016 तक 5 माह/153 दिन का किराया रू0 153000.00 वा0 सं0-64 दिनांक 16.12.16 चैक सं0-219082 द्वारा भुगतान किया गया था। इस प्रकार माह जुलाई तथा अगस्त 2016 का कुल 62 दिन का रू0 1000.00 की दर से रू0 62000.00 का अधिक भुगतान वाहन स्वामी को किया गया था। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता थी। अतः अधिक भुगतान धनराशि रू0 62000.00 की वसूली कर दिखायी जाय।

(2) दूसरा वाहन एच आर 27 बी-0999 रू0 500.00 प्रतिदिन पर श्री सर्वेश कुमार का सम्बद्ध था इसका भी माह दिसम्बर 2015 से अगस्त 2016 तक 9 माह ( 275 दिन ) का किराया रू0 500.00 प्रतिदिन की दर से रू0 137500.00 वा0 सं0-62 दिनांक 07.09.16 चैक सं0-193291 द्वारा भुगतान किया गया था। परन्तु पुनः इसके स्थान पर लगाये गये दूसरे वाहन यू0 पी0-75 सी0 जे0-0555 का माह जुलाई 16 से नवम्बर 16 तक 5 माह ( 153 दिन ) का रू0 1300.00 की दर से किराया रू0 198900.00 का भुगतान वा0 सं0-63 दिनांक 16.12.16 द्वारा श्री प्रदीप कुमार यादव को चैक सं0-219081 द्वारा किया गया था। इस प्रकार माह जुलाई तथा अगस्त 16 का 62 दिन का रू0 1300.00 की दर से रू0 80600.00 का दोहरा भुगतान किया गया था। डीजल आपूर्ति देयक के अनुसार माह जुलाई तथा अगस्त 16 में वाहन सं0 एस0 आर0 27 वी0-0999 में ही डीजल आपूर्ति की गयी थी जिससे स्पष्ट था कि वाहन सं0-0555 माह सितम्बर 2016 से किराये पर लगाया गया था।

अतः कुल दोहरा भुगतान रू0 142600.00 की वसूली कर दिखाई जाय।

(3) उक्त वाहनों की लागबुक सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे इनमें दर्शायी गयी डीजल आपूर्ति की जाँच नहीं की जा सकी। इन्हें जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाय तथा रू0 500.00 के स्थान पर रू0 1300.00 प्रतिदिन की दर से वाहन हायर किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) वाटर कूलर 14 नग की आपूर्ति/स्थापना में अधिक भुगतान :- वा0 सं0 64 से 68 दिनांक 07.09.16 द्वारा ठेकेदार मै0 गोवर्धन एण्ड कम्पनी को रू0 2045090.00 का भुगतान 14 नग वाटर कूलर की आपूर्ति तथा विभिन्न स्थानों पर इसकी स्थापना हेतु किया गया था। सम्परीक्षा में इसकी पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। वाउचर गार्ड फाइल में संलग्न बिल के अनुसार 4 नग की आपूर्ति रू0 136310.00 की दर से 10 नग की रू0 149850.00 की दर से प्राप्त की गयी थी। बिल में दरे निम्नवत अंकित थी :-

क्र0	सामग्री/कार्य का विवरण	4 नगों हेतु प्रति आइटम में दर	10 नगों हेतु प्रति आइटम दर
1.	प्लेटफार्म निर्माण	6500.00	7000.00
2.	वाटर कूलर ब्लूस्टार 60 ली0/80 ली0	48000.00	55000.00
3.	आयरन बाक्स आपूर्ति/फिटिंग	23500.00	25000.00
4.	500 लीटर वाटर टैंक	3500.00	4000.00
5.	आयर बाक्स की पेटिंग	2700.00	3000.00
6.	पाइप तथा सिनेटरी फिटिंग	14300.00	15000.00
7.	स्टेब्लाइजर आपूर्ति/फिटिंग	5650.00	6000.00
8.	इन्स्टालेशन चार्ज	3000.00	5000.00
9.	इलेक्ट्रिक फिटिंग फ्राम पोल	2250.00	5000.00
10.	वार्षिक अनुरक्षण चार्ज	7000.00	10000.00
	योग	116400.00	135000.00
	+ सेस 1 प्रतिशत	1164.00	1485.00
	+ 10 ठेकेदार की प्राफिट	11640.00	13500.00
	+ 5.5 प्रतिशत उच्च दर निविदा	7106.00	
	योग	136310.00	149985.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि वाटर कूलर की आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य अत्यधिक उच्च दरों पर किया गया था। प्लेटफार्म का निर्माण नहीं किया गया था जिससे इस हेतु भुगतान धनराशि रू0 96000.00

**(10) ट्रैक्टर ट्राली क्य में अनियमिततायें :-** 14 वॉ वित्त आयोग से वां0 सं0 03 दिनांक 08.08.16 द्वारा रू0 657600.00 का भुगतान मैसर्स पीताम्बर ट्रेडर्स इटावा को रू0 219200.00 की दर से 3 नग ट्रैक्टर ट्राली आपूर्ति हेतु किया गया था। जबकि बोर्ड प्रस्ताव संख्या-07 दिनांक 20.01.16 द्वारा मात्र 2 ट्राली क्य की स्वीकृति थी। इस प्रकार एक नग ट्राली का अनियमित क्य बिना बोर्ड स्वीकृति के किया गया था। इसे स्पष्ट किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त पत्रावली में संलग्न बन्धक मुक्त प्रमाण पत्र के अनुसार जमानत धनराशि रू0 42000.00 की एफ0 डी0 आर0 दिनांक 04.10.16 को ही बन्धक मुक्त कर दी गयी थी जबकि इसे आपूर्ति दिनांक 13.07.16 के न्यूनतम एक वर्ष उपरान्त ही मुक्त किया जा सकता था। इसे स्पष्ट किया जाय।

**(11) वा0 सं0 4 दिनांक 31.12.16 रू0 4,58,291.00 हाइड्रोलिक सीढ़ी फैब्रीकेशन हेतु मैक्सिमों चेसिस की आपूर्ति (14 वॉ वि0 आ0) :-** बोर्ड मीटिंग दिनांक 28.09.16 द्वारा 7 मीटर हाइड्रोलिक सीढ़ी के फैब्रीकेशन तथा चेसिस क्य हेतु इस्टीमेट रू0 1500000.00 की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आगणन की दरों का आधार पत्रावली में स्पष्ट नहीं था। बोर्ड प्रस्ताव सं0-31(4)(2) में महिन्द्रा पिक अप चेसिस का उल्लेख था जिससे स्पष्ट था कि इस्टीमेट भी पिक अप वाहन का बनाया गया था परन्तु क्य महिन्द्रा मैक्सिमों चेसिस का किया गया था। न्यूनतम निविदा मै0 बी0 के विल्डर्स उरई की रू0 1490000.00 की स्वीकृत कर कार्यादेश दिनांक 19.12.16 को निर्गत किया गया था। फर्म द्वारा चेसिस का भुगतान सीधे डीलर को करने हेतु मै0 राजेन्द्रा आटोव्हील्स इटावा का कुटेशन रू0 458291.00 पालिका को उपलब्ध कराया गया था जिसमें बीमा रू0 22609.00 रू0 1000.00 एसेसरीज रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 26000.00 तथा चेसिस की कीमत रू0 408682.00 शामिल थी। इस प्रकार सीढ़ी फैब्रीकेशन कार्य रू0 1031709.00 का था। जो बहुत अधिक था तथा इसके लिए फैब्रीकेशन कार्य करने वाली फर्मों के कुटेशन प्राप्त नहीं किये गये थे। मै0 बी0 के0 विल्डर्स मात्र सप्लायर फर्म थी। पालिका द्वारा आयशर ट्रक के कुटेशन में रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र रू0 5000.00 दर्शाया गया था जबकि इसमें रू0 26000.00 का भुगतान किया गया था जो कई गुना अधिक था।

सीढ़ी फैब्रीकेशन कार्य के उपरान्त वाहन दिनांक 27.03.2017 को पालिका को प्राप्त हो गया था इसके साथ ही ठेकेदार फर्म का बिल सं0-040/01 दिनांक 27.03.17 प्राप्त हुआ था। जिलाधिकारी इटावा द्वारा गुणवत्ता जाँच हेतु गठित समिति द्वारा इसके संतोषजनक होने की आख्या दिनांक 30.03.17 को दी गयी थी। इसके उपरान्त भी इसका भुगतान लगभग 8 माह बाद वा0 सं0-7 दिनांक 19.08.17 द्वारा किया गया था। इतने अधिक विलम्ब से भुगतान करना संदिग्ध था। इसे स्पष्ट किया जाय।

प्राप्त चार निविदाओं में दी गयी दरों के नीचे नोट अंकित था कि महिन्द्र मैक्सिमों का भुगतान महिन्द्रा कम्पनी के डीलर को नगर पालिका द्वारा अग्रिम देय होगा। मै0 बी0 के0 विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स उरई जालौन इण्डिया सप्लायर्स कारपोरेशन कानपुर तथा सुलभ इण्टर प्राइजेज कानपुर की निविदाओं में यह नोट एक ही हस्त लिपि में लिखा गया था जिससे निविदायें एक ही सप्लायर्स ( बी0 के0 विल्डर्स उरई ) द्वारा डाला जाना स्पष्ट था सुलभ इण्टर प्राइजेज तथा इण्डिया सप्लायर्स कारपोरेशन द्वारा निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं थी। टेण्डर के साथ ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था कि टेण्डर हेतु ये फर्म अधिकृत थी। मात्र टेण्डर फार्म तथा लिफाफा संलग्न था। सुलभ के लिफाफे पर कोई पता भी अंकित नहीं था और न ही कोई मोबाइल नम्बर था जिससे ये दोनों निविदायें अमान्य थी। शेष दो निविदाओं में एक सप्लायर फर्म मै0 बी0 के0 विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स उरई तथा दूसरी मै0 प्रखर इलेक्ट्रिकल कान्फ्रेक्टर उरई की थी जिसके प्रोप्राइटर कमशः श्री बी0 के0 दीक्षित तथा इनकी पत्नी नीलम दीक्षित थी।

**(ख) हानि, अपव्यय, दुरुपयोग अनियमित एवं अधिक भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण :-**

**(1) वाहन किराया का दोहरा भुगतान रू0 1,42,600.00 :-** व्यय प्रमाणकों की जाँच में देखा गया कि पालिका द्वारा अधिकारियों/अध्यक्ष के प्रयोगार्थ किराये पर दो वाहन किये गये थे जिनमें एक वाहन संख्या यू0 पी0-75 आर 7900 टाटा सफारी रू0 800.00 प्रतिदिन किराये पर थी। इसका माह दिसम्बर 2015 से अगस्त 2016 तक 9 माह का किराया 275 दिन का रू0 220000.00 भुगतान वां0 सं0 63 दिनांक 07.09.16 द्वारा श्री अमित चौहान को बैंक संख्या-193292 से भुगतान किया गया था। वाहन में डीजल पालिका द्वारा डाला जाता

परन्तु जमानत जमा नहीं की गयी थी और न ही इसकी कटौती बिल से की गयी थी। जैसा कि नोट शीट पर स्टोर कीपर की आख्या दिनांक 15.12.16 से स्पष्ट था।

इस प्रकार फर्म के बिल के अनुसार आपूर्ति दिनांक 17.10.16 को की गयी प्रतीत होती है जबकि पालिका के पत्रांक-666/स्टोर/दिनांक 21.09.16 के अनुसार आपूर्ति प्राप्त हो चुकी थी। इस पत्र में छोटे कूड़ादान मानक के अनुरूप न होने का उल्लेख था। अतः विरोधाभास की स्थिति स्पष्ट की जाय तथा जमानत जमा न होने तथा विलम्ब से आपूर्ति पर नियमानुसार दण्ड वसूल न किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय।

**(7) चूना छिड़काव हेतु मार्बल डस्ट का अनियमित क्रय :-** व्यय प्रमाणकों की जाँच में देखा गया कि पालिका द्वारा सड़क/नालियों के किनारे चूना छिड़काव हेतु चूने के स्थान पर मार्बल डस्ट का क्रय किया गया था जो अनियमित था। चूना का उपयोग कीटनाशक (एटीवायटिक) होने के कारण किया जाता है जबकि मार्बल डस्ट प्रदूषण बढ़ाने में सहायक है। इस प्रकार मार्बल डस्ट का क्रय तथा भुगतान की गयी धनराशि अनियमित थी। आलोच्य वर्ष में मेसर्स नरेश चन्द्र एण्ड सन्स नया शहर इटावा(टिन सं.-09328801470) को निम्नांकित भुगतान किया गया था-

चैक संख्या	दिनांक	बिल धनराशि	सामग्री विवरण
140390	27.05.16	487400.00	1100 कुन्तल मार्बल डस्ट दर 415 प्रति कुन्तल 300 लीटर फिनायल दर 75.00प्रति ली0 300 ली0 तेजाब दर 28.00 प्रति ली0
169292	16.07.16	498000.00	1200 कु0 मार्बल डस्ट दर 415 प्रति कुन्तल
219090	16.12.16	498000.00	1200 कु0 मार्बल डस्ट दर 415 प्रति कुन्तल

इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

**(8) सीवर जेटिंग मशीन तथा वाटर टैन्कर बुकिंग पंजिका अनुरक्षित न किया जाना :-** सम्परीक्षा में जाँच के दौरान देखा गया कि पालिका की सीवर जेटिंग मशीन तथा वाटर टैन्कर की बुकिंग पंजिका अनुरक्षित नहीं थी जिससे इनके दुरुपयोग की सम्भावना थी। बुकिंग पंजिका अनुरक्षित की जाय।

**(9) टिपर कार्य हेतु आयशर ट्रक चेसिस का क्रय अधिकृत डीलर से न किया जाना :-** व्यय प्रमाणकों की जाँच में देखा गया कि पालिका के सफाई विभाग/विद्युत विभाग हेतु 14 वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में वाहनों का क्रय तथा इस पर आवश्यक फ़ैब्रीकेशन वर्क काह टेन्डर फ़ैब्रीकेशन कार्य करने वाली फर्मों से आमंत्रित किया गया था। जबकि चेसिस का क्रय सीधे डीलर से किया जाना था तथा फ़ैब्रीकेशन कार्य का टेन्डर प्रथम से सम्बन्धित कार्य करने वाली फर्मों से लिया जाना चाहिये था। अधिकृत डीलर से चेसिस आपूर्ति न लेने से इनके पुराने होने तथा स्पेयर पार्ट्स/टायर आदि बदले जाने की सम्भावना थी। उदाहरणार्थ- आलोच्य वर्ष में बोर्ड प्रस्ताव सं0 7 दिनांक 20.01.16 द्वारा न नग आयशर 90 एच0 पी0 ट्रक माडल प्रा0 1080 एक्स पी0 टी0 चेसिस क्रय तथा इस पर टिपर माउन्टिंग कार्य की स्वीकृति के कम दिनांक 30.03.16 को निविदा प्रकाशन कर टेन्डर दिनांक 13.04.16 तक आमंत्रित थे। निविदा सूचना में निविदा निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर से आमंत्रित थी। परन्तु पत्रावली में निविदायें टिपर कार्य(फ़ैब्रीकेशन) करने वाली फर्मों की संलग्न कर आपूर्ति प्राप्त की गयी थी। पत्रावली में निम्नांकित 3 निविदायें संलग्न थी :-

	दर प्रति चेसिस
1. जे0 एम0 डी0 टेक्नोट्रेड लखनऊ	1121900.00
2. टेक्निक फ़ैब्रीकेशन प्रा0 लि0 चण्डीगढ़	1123000.00
3. अयोटा इन्जी0 कार्या0 गुडगाँव	1124000.00

उक्त तीनों फर्मों में कोई भी चेसिस निर्माता अथवा कम्पनी का डीलर नहीं था और न ही पत्रावली में चेसिस का डिलीवरी चालान संलग्न था। तीनों चेसिस का सम्पूर्ण भुगतान जे0 एम0 डी0 टेक्नोट्रेड लखनऊ को वा0 सं0 3 दिनांक 30.09.16 द्वारा रू0 3363000.00 किया गया था। इस प्रकार क्रय अनियमित था। दरों की पुष्टि में कम्पनी की रेट लिस्ट प्रस्तुत की जाय। भुगतान में प्रति वाहन बीमा रू0 48000.00 तथा पंजीयन शुल्क रू0 5000.00 शामिल था। बीमा रसीद तथा पंजीयन प्रमाण पत्र से भुगतान की गयी धनराशि की पुष्टि करायी जाय।

(2) उक्त कार्य का द्वितीय/अन्तिम भुगतान रू0 446814.00 दिनांक 21.11.16 को किया गया था। इस कार्य का इस्टीमेट पूर्व में रू0 799800.00 बोर्ड प्रस्ताव सं0 37 दिनांक 18.05.16 द्वारा क्रमांक 22 पर स्वीकृत था। पत्रावली में संलग्न इस्टीमेट का योग त्रुटिपूर्ण था। इसका वास्तविक योग रू0 1248600.00 था। अतः बड़ी हुयी धनराशि की स्वीकृति बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 28.09.16 द्वारा दी गयी थी। परन्तु इस कार्य की अनुबन्ध कार्यवाही त्रुटिपूर्ण योग रू0 799800.00 के अनुसार रू0 5600.00 के स्टाम्प पर की गयी थी। जबकि बड़ी हुयी धनराशि के अनुसार रू0 8400.00 के स्टाम्प देय थे। अतः रू0 2800.00 के कम स्टाम्प लगाये जाने से राजस्व क्षति हुयी थी। इसकी प्रतिपूर्ति की जाय तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि रोकने हेतु इस्टीमेट की जाँच लेखाकार से करायी जाये जिससे अधिशासी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाय।

(4) विभिन्न निर्माण कार्यों पर पत्थर लगाने हेतु अनियमित भुगतान रू0 29,99,100.00 :- वा0 सं0 87 दिनांक 16.12.16 द्वारा ठेकेदार मै0 जितेन्द्र कुमार ट्रेडर्स प्रथम चालू बिल का भुगतान रू0 2999100.00 चैक संख्या-219085 द्वारा किया गया था। इस कार्य की पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसे प्रस्तुत किया जाय।

अन्य निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि ठेकेदारों को निर्गत कार्यादेश में स्थल पर कार्य के विवरण का बोर्ड लगाने का भी आदेश था। अतः निर्माण कार्यों पर प्रथक से पत्थर लगाने तथा इस हेतु इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान प्रथक से किये जाने का कोई औचित्य नहीं था तथा यह अनुदान का दुरुपयोग/दुर्विनियोग था। इसे स्पष्ट किया जाय।

(5) निर्माण पत्रावलियों में खनिज परिवहन प्रपत्र एम0 एम0-॥ प्रपत्र-सी संलग्न न किया जाना :- निर्माण पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि मिटटी भराई तथा मिटटी मौरंग के कार्यों में खनिज परिवहन पत्र सी/एम एम-॥ पत्रावलियों में संलग्न नहीं किया गया था। बिना वैध परिवहन प्रपत्र के खनिज की आपूर्ति पर ठेकेदार/कार्यदायी संस्था से रायल्टी के अतिरिक्त रायल्टी का 5 गुना अर्थदण्ड (खनिज मूल्य) की कटौती बिल से की जानी चाहिए थी। परन्तु आलोच्य वर्ष में किसी भी निर्माण पत्रावली में निर्धारित प्रपत्र संलग्न नहीं था और न ही अतिरिक्त अर्थदण्ड की वसूली की गयी थी। इससे खनिजों के अवैध व्यापार/आवागमन को बढ़ावा मिलने के साथ-2 शासन को इसकी रायल्टी के रूप में मिलने वाली धनराशि के रूप में राजस्व क्षति हो रही थी। शा0 सं0-3385/86-2015-292 दिनांक 15.10.15 में स्पष्ट रूप से इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी इटावा के पत्रांक-1462/डी0 एल0 आर0 सी0/खनिज रायल्टी/2014 दिनांक 30.10.2014 तथा पत्रांक-1310/डी0 एल0 आर0 सी0/नोटिस/2017 दिनांक 10.11.17 द्वारा उक्त पेनाल्टी धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक "853-अलौह" खनन तथा धातु कर्म उद्योग 102 खनिज रियारत शुल्क किराया तथा स्वत्व शुल्क में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आलोच्य वर्ष में कुल अनुमानित मिटटी भराई कार्य मात्रा 1 लाख घन मीटर पर रायल्टी दर रू0 30.00 प्रति घन मी0 का 5 गुना अर्थात् रू0 150.00 प्रति घन मी0 की दर से यह धनराशि रू0 15000000.00 थी। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(6) कूड़ादान क्रय में अनियमिततायें :- आलोच्य वर्ष में 14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से वा0 सं0 05 दिनांक 04.01.2017 द्वारा कुल रू0 2605000.00 का भुगतान मै0 जे0 एम0 डी0 टेक्नोट्रेड लखनऊ को किया गया था। फर्म द्वारा निम्नांकित कूड़ादान की आपूर्ति कर बिल सं0 12 दिनांक 19.10.16 प्रस्तुत किया गया-

1.	छोटे कूड़ादान साइज 1.1 घन मी0 50 नग दर 25500.00	1275000.00
2.	बड़े कूड़ादान साइज 5.5 घन मी0 25 नग दर रू0 104200.00	2605000.00
	योग	3880000.00

उक्त आपूर्ति की गुणवत्ता जाँच दिनांक 30.03.17 को जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया था परन्तु क्रमांक 2 पर अंकित आपूर्ति का भुगतान इससे पूर्व ही दिनांक 04.01.17 को कर दिया गया था। यह अनियमित था। इसे स्पष्ट किया जाय।

पालिका के पत्रांक-2320/स्टोर-कार्य0/2015-16 दिनांक 15.03.16 द्वारा वर्क आर्डर निर्गत था जिसमें 15 दिन में आपूर्ति के साथ ही बकाया जमानत रू0 218000.00 भी जमा/बन्धक किये जाने का आदेश

## स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

### सम्परीक्षा आख्या

**संस्था का नाम :-** नगर पालिका परिषद, इटावा

**अवधि :-** 2016-17

**सम्परीक्षा का दिनांक :-** लेखे की सम्परीक्षा दिनांक 19.02.2018 को प्रारम्भ करके दिनांक 04.06.2018 को समाप्त की गयी।

**प्रशासन :-** आलोच्य वर्ष में पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर श्री कुलदीप गुप्ता आसीन रहे। अधिशासी अधिकारी पद पर श्रीमती नीलम चौधरी कार्यरत रही। आहरण वितरण कार्य अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया गया।

**प्रस्तावना :-** यह सम्परीक्षा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्थापित मापदण्डों एवं तकनीकी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं सम्बन्धित अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

**सम्परीक्षा का स्वरूप :-** उप लेखा परीक्षा।

### भाग-(क)

**क- वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमिततायें :-**

(1) निर्माण कार्यों में मिटटी भराई कार्य पर रायल्टी कटौती रू0 30.00 के स्थान पर रू0 14.00 प्रति घन मी0 की दर से किये जाने से राजस्व क्षति रू0 15,76,793.00 :- सम्परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि आलोच्य वर्ष में मिटटी भराई कार्य पर ठेकेदारों के बिल से रू0 14.00 प्रति घन मी0 की दर से कुल रायल्टी कटौती धनराशि रू0 1379431.00 कोषागार में जमा की गयी थी। जबकि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0 प्र0 की अधिसूचना संख्या-243/86-2016-200/77 टी0 सी0-1। लखनऊ दिनांक 19 जनवरी 2016 द्वारा उ0 प्र0 उप खनिज (परिहार) उनतालिसर्वो संशोधन नियमावली 2016 द्वारा मिटटी पर रायल्टी की दर को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर रू0 30.00 प्रति घन मी0 कर दी गयी थी। परन्तु पालिका द्वारा रू0 14.00 की दर से ही कटौती की जाती रही जिससे आलोच्य वर्ष में शासन को रू0 1576793.00(1379431×16/14) की स्पष्ट रूप से राजस्व क्षति हुयी। अतः इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारो/उत्तरदायी से कर इसे कोषागार में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिखाई जाय।

(2) निर्माण देयक वा0 सं0-1 दिनांक 20.07.16 से रायल्टी कटौती न किये जाने से राजस्व क्षति रू0 20,370.00 :- अवस्थापना निधि से मो0 आवास विकास कालोनी में रामबदन के मकान के सामने पार्क सौन्दर्यीकरण का भुगतान रू0 459018.00 ठेकेदार मै0 कमला देवी को किया गया था। इस कार्य में 679 घन मी0 मिटटी भराई का भुगतान रू0 242.00 की दर से रू0 163318.00 दर्शाया गया था परन्तु देयक से इसकी रायल्टी रू0 30.00 की दर से रू0 20370.00 की कटौती नहीं की गयी जिससे राजस्व क्षति हुयी। अतः इस धनराशि को वसूल कर चालान द्वारा जमा कर दिखाया जाय।

(2) इस कार्य में अर्थ फिलिंग की दर रू0 242.00 प्रति घन मी0 लगायी गयी थी जबकि इसी अवधि के अन्य कार्यों में दर 241.00 थी। अतः दरों में अन्तर को शेड्यूल रेट सूची से स्पष्ट किया जाय। सम्परीक्षा में दरों के मिलान हेतु शेड्यूल रेट सूची प्रस्तुत नहीं की गयी इससे प्रस्तुत किया जाय। इस कार्य में अधिक दर लगाने से रू0 679.00 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इसे जमा कराया जाय।

(3) वा0 सं0-6 दिनांक 19.09.16 रायल्टी कम काटा जाना रू0 14,300.00 :- मो0 गाँधी नगर (अशोक नगर) में लाइन किनारे इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली निर्माण का भुगतान अवस्थापना निधि से ठेकेदार सफीउल्लाह खॉं को चैक सं0-193296 द्वारा रू0 799400.00 किया गया था। इस कार्य में मिटटी भराई मात्रा 500 घन मी0 की रायल्टी रू0 14.00 की दर से मात्र रू0 700.00(त्रुटिपूर्ण गणना के कारण)कटौती की गयी थी जबकि रू0 30.00 की दर से रू0 15000.00 कटौती की जानी चाहिए थी। अतः अन्तर की धनराशि रू0 14300.00 वसूल कर निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिखाया जाय।

(4)

नगर पालिका परिषद, इटावा

नगर पालिका परिषद, इटावा द्वारा वर्ष 2016-17 में जमा पेंशन अंशदान का विवरण

क्रम सं०	माह का नाम	माह में कुल जमा पेंशन अंशदान	माह में देय पेंशन अंशदान	अतिरिक्त पेंशन अंशदान
1	अप्रैल 2016	1829676	379676	1450000
2	मई 2016	1827371	377371	1450000
3	जून 2016	1828439	378439	1450000
4	जुलाई 2016	1827787	377787	1450000
5	अगस्त 2016	3836765	386765	3450000
6	सितम्बर 2016	1838561	388561	1450000
7	अक्टुबर 2016	1840869	390869	1450000
8	नवम्बर 2016	2838162	388162	2450000
9	दिसम्बर 2016	1833667	383667	1450000
10	जनवरी 2017	1837395	387395	1450000
11	फरवरी 2017	2454758	1004758	1450000
12	मार्च 2017	2439445	989445	1450000
	योग	26232895	5832895	20400000

## परिशिष्ट 'क'

नगर पालिका परिषद इटावा (पेंशन निधि)  
अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण  
अवधि : 201६-17

अवधि	अनुच्छेद	पद	योग
2004-05 से 2005-06	1,2,3	—	03
2006-07	1	—	01
2007-08	1(क)टि0(1)(2)(ख)(1)(2)	—	04
2008-09	2,2टि0(1)(2)(3)(4)(5)	—	06
2009-10	भाग-क-1,2, भाग-ख-2,2टि0(1)(2)	—	05
2010-11	भाग(क)-(क)(1)(2), भाग(ख)-3	—	03
2011-12	भाग(क)-(ब)(एक),भाग(ख)-3टि0(1)(2)टि0, 6 नोट(1)(2)(3),7टि0	—	07
2012-13	भाग(क)-(क), भाग (ख)-3टि0(1)(11)(111),6टि0(1)(11)	—	06
2013-14	भाग-ख-2टि0(1),3	—	02
2014-15	भाग-ख-2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),2टि0	—	09
2015-16	भाग-क-(क)-(क)(1),भाग-ख-2टि0(2)(3)(4)(5)(6)	—	06
		योग	52

वरिष्ठ लेखा परीक्षक



भाग-“ख”

1. गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :- गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त हो गई थी, गत एवं विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियों जिनका विवरण संलग्न “क” में दिया गया है, का अनुपालन कर निस्तारण की कार्यवाही करायी जाय।

2. वित्तीय स्थिति :- पेंशन निधि की रोकड़ बर्ही अनुरक्षित नहीं थी। आलोच्य वर्ष का बैंक स्टेट मेन्ट भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार पेंशन निधि खाता संख्या-11122296475 में दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष रू0 5318420.27 आलोच्य वर्ष में पालिका द्वारा पेंशन अंशदान तथा अतिरिक्त धनराशि के रूप में कुल रू0 26232895.00 जमा किया गया था जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में संलग्न है।

टिप्पणी:- (1) रोकड़बर्ही तौ बैंक स्टेटमेन्ट के अभाव में इस खाते की वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी। इसे प्रस्तुत किया जाये।

(2) पेंशन नियमावली के अनुसार बैंक द्वारा पेंशनर को भुगतान की गयी धनराशि के वाउचर की एक प्रति अभिलेखों/रोकड़बर्ही के अनुरक्षण हेतु पालिका को प्रेषित की जानी चाहिए थी। परन्तु बैंक द्वारा इसे प्रेषित न करने से पालिका द्वारा रोकड़बर्ही का अनुरक्षण नहीं हो पा रहा था। अतः बैंक से वाउचर की एक प्रति प्राप्त कर रोकड़बर्ही में अनुरक्षित की जाय।

(3) पालिका द्वारा पेंशनर लेजर अनुरक्षित न होने के कारण अधिक भुगतान की सम्भावना थी इसे अनुरक्षित किया जाय।

(4) पेंशनर्स के संचालित बैंक खातों की सूची पालिका में उपलब्ध नहीं थी। इसे प्रस्तुत किया जाय।


3. लम्बित पेंशन प्रकरण :- आलोच्य वर्ष में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कोई भी पेंशन प्रकरण लम्बित नहीं बताया गया। इस कथन की पुष्टि की जाय।

स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब कोई पद शेष नहीं है।

स्थान:- कानपुर।

दिनांक:- 26.06.2018

राघवेन्द्र कुमार विश्णोई (प्रभारी),  
सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी

  
 ( देवेन्द्र )  
 उप निदेशक  
 कानपुर मण्डल कानुपर